ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 9, Issue 7, July 2019 Impact Factor 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

भारत–बांग्लादेश के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु

डॉ. प्रशान्त पंवार

वरिष्ठ व्याख्याता (राजनीति विज्ञान)

राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय,

जोधपुर (राज.)

बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। बांग्लादेश की पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी सीमा भारत से मिलती है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का भाग घोषित किया गया। पूर्वी पाकिस्तान में 1950 के दशक में जमींदारी प्रथा के विरूद्ध एक बड़ा आन्दोलन आरम्भ हुआ जो आगे चलकर बांग्ला भाषा आन्दोलन के साथ जुड़ गया। 1952 में मोहम्मद अली जिन्ना के बाद गवर्नर जनरल बने ख्वाजा निजामुद्दीन ने अपने 27 जनवरी, 1952 के भाषण में केवल उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जिसके विरोध में ऑल पार्टी सेण्ट्रल लैंग्वेज एक्शन कमेटी का ढ़ाका में गठन किया गय जिसके अध्यक्ष मौलाना आशानी थे एवं पूरे पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू भाषा के खिलाफ आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। इस एक्शन कमेटी का आवामी लीग ने समर्थन किया। धीरे–धीरे यह आन्दोलन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में परिणित हो गया और इसी के चलते 1971 में भारत–पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के बाद 16 दिसम्बर, 1971 को बांग्लादेश नामक नवीन देश का विश्व मानचित्र पर उदय हुआ। आवामी लीग के नेता बंगबंधु के नाम से विख्यात शेख मुजीबुर्रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री बने।

4 नवम्बर, 1972 को बांग्लादेश का नवीन संविधान अंगीकार किया गया जिसे 16 दिसम्बर, 1972 से लागू किया गया है। यह संविधान बांग्लादेश को समाजवादी, इस्लामिक, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र घोषित करता है। इस संविधान को डॉ. कमाल हुसैन के निर्देशन में तैयार किया गया।

भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और मैत्री संधि (1972)

बांग्लादेश की स्वतंत्रता के तुरन्त बाद 19 मार्च, 1972 को ढ़ाका में भारतीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्रहमान के बीच भारत और बांग्लादेश शांति और मैत्री संधि हस्ताक्षरित की गई जिसमें प्रस्तावना और 12 अनुच्छेद है।[1]

भारत–बांग्लादेश के बीच विवादित मुद्दे –

(1) सीमा विवाद – भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096.7 किमी. लम्बी सीमा रेखा है इस सीमा रेखा के साथ भारत के पांच राज्य–पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जुड़े हुए हैं। यह सीमा रेखा भारत के सभी पड़ोसी देशों की सीमा रेखा से सबसे ज्यादा लम्बी है। इस सीमा रेखा पर दोनों देशों के बीच सैंकड़ों अन्तर्वेश या गलियारे (एन्क्लेव) हैं। प्राचीन काल में कूच बिहार के राजा और रंगपुर के महाराजा जब शतरंज खेलते थे तब अपने–अपने गांवों को बाजी में दांव पर लगाते थे। इस प्रकार दोनों रियासतों के सैंकड़ों गांव एक–दूसरे की रियासत में सदियों से मौजूद

रहे और मुगल शासक और अंग्रेजी सरकार भी इनका सीमांकन नहीं कर पाई। इन गलियारों को स्थानीय भाषा में छिटमहल कहा जाता है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद भी ये छिटमहल भारत और पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में विवाद का कारण बने रहे। इन छिटमहलों में रहने वाले लोगों को ना तो भारत और ना ही बांग्लादेश अपना नागरिक मानने को तैयार हैं।

इन सैकड़ों गलियारों में से तीन बीघा गलियारा विवाद काफी चर्चित रहा। ये गलियारा भी उन गलियारों में से एक है जो प्रशासनिक रूप से एक देश के अधिकार में है पर वहां तक पहुंचने का मार्ग दूसरे देश से होकर है। 16 मई, 1974 को प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी और शेख मुजीबुर्रहमान के बीच गलियारों के आदान–प्रदान को लेकर एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसाद बांग्लादेश को अपनी दक्षिणी बेरूबारी क्षेत्र का एक हिस्सा भारत को सौंपना था और इसके बदले उसे तीन बीघा गलियारा मिलना था। इसे भारत–बांग्लादेश के बीच भू–सीमा समझौता (**स्ठ।**) कहा गया। भारतीय भूमि का यह क्षेत्र बांग्लादेश के दहाग्राम–अंगारपोटा इलाके तक पहुंच मार्ग है। समझौते के अनुसार बांग्लादेश ने तो दक्षिणी बेरूबारी का क्षेत्र भारत को सौंप दिया पर बदले में उसे तीन बीघा गलियारा भारत से नहीं मिला और विवाद आरम्भ हो गया। भारतीय संविधान भारत के किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की इजाजत नहीं देता है। इस संवैधानिक अड़चन और पश्चिम बंगाल में जनता के विरोध के कारण भारत समझौते के तहत तीन बीघा गलियारा बांग्लादेश को नहीं दे पाया। इस बारे में 1982 और 1992 में समझौते हुए जिसके अनुसार भारत ने छह घण्टों के लिए बांग्लादेशी नागरिकों की आवाजाही की मंजूरी दी जिसे बाद में बढ़ाकर 12 घण्टे भी किया गया लेकिन तीन बीघा बांग्लादेश को नहीं सौंपा गया।

आखिरकार दोनों देशों के बीच 2011 में समझौता हुआ और भारत सरकार ने 999 वर्षों की लीज पर तीन बीघा गलियारा बांग्लादेश को सौंप दिया है। इस समझौते के अनुसार भारत ने पश्चिमी बंगाल, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा की 17,160 एकड़ जमीन सौंपी है। बदले में बांग्लादेश ने भारत को 7110 एकड़ जमीन सौंपी । इस क्षेत्र में 37000 भारतीय और 14000 बांग्लादेशी रहते हैं, समझौते के अनुसार इनको किसी भी एक देश की नागरिकता चुनने का विकल्प होगा। जमीनों की बदला–बदली पर संविधान संशोधन विधेयक 2013 में तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने तैयार किया। इस विधेयक पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति बनी जिसने रिपोर्ट दी कि जो जमीन बांग्लादेश को सौंपी जानी है, वह उसके कब्जे में पहले से ही है और इसको बांग्लादेश को सुपुर्द माना महज उस वास्तविक जमीनी स्थिति को कानूनी ढ़ंग से स्वीकार करना है। इस तरह 2011 का प्रोटोकॉल लागू होने के साथ ही जो जमीनें भारत में विपरीत कब्जे में है वो औपचारिक रूप से भारत को सुपुर्द हो जायेंगी। विपरीत कब्जा वह जमीन है जो भारतीय सीमा के साथ लगी है और भारत के नियंत्रण में है लेकिन कानूनी रूप से वो बांग्लादेश का हिस्सा है। यही बात बांग्लादेशी विपरीत कब्जों पर भी लागू होती है। सब कुछ 'जहां है जैसा है' के आधार पर निपटाया जाएगा। [2]

इसी आधार पर मोदी सरकार ने 2015 में भारत–बांग्लादेश भू–सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन पास किया। [3]

(2) शरणार्थी समस्या –

चकमा और हजोंग शरणार्थी भारत में बांग्लादेश के चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों से आये हैं। इन लोगों की जमीनें 1960 के दशक में वहां कर्णफुली नदी पर बनी कापताई बांध परियोजना में चली गई थी। इसके अलावा इन्हें धार्मिक उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ा। चकमा बौद्ध धर्म के अनुयायी है जबकि हजोंग हिन्दू हैं। वर्तमान में भारत में एक लाख से भी अधिक चकमा और हजोंग शरणार्थी रह रहे हैं। विस्थापन और धार्मिक उत्पीड़न के चलते इन्होंने आसाम की लुश्चई पहाड़ी (वर्तमान में मिजोरम) के मार्ग से 1960 के दशक में भारत में शरण लेनी आरम्भ की जिनको अरुणाचल प्रदेश में बने राहत शिविरों में भेजा गया जबकि अनेक मिजोरम एवं दक्षिणी त्रिपुरा के शिविरों में भी रहते हैं। जब इनको अरुणाचल प्रदेश में खाली पड़ी जमीनों पर भेजा गया तो स्थानीय लोगों ने जमीनें जाने के डर से इनका जबरदस्त विरोध किया।[4] 1972 में बांग्लादेश का संविधान बनाया गया जिसमें चकमा और हजोंग जनजातियों की स्वायत्तता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया उल्टे मुस्लिम धर्मान्तरण और नरसंहार तेज हो गया। जिसके कारण हजारों की संख्या में इन लोगों ने भारत में पलायन कर लिया।[5]

फरवरी, 1972 में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने इस शरणार्थी समस्या पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया और भारत सरकार ने इन्हें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 (1) () में भारत का नागरिक बनाने का निर्णय लिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में भारत के निर्वाचन आयोग ने इन शरणार्थियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े हैं। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी चकमा और हजोंग शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का निर्णय दिया है जो नरसंहार और मुस्लिम धार्मिक उत्पीड़न के कारण 1964 से 1969 के बीच भारत आ गये थे। वर्तमान में इन्हें मिजोरम विधान सभा, त्रिपुरा विधान सभा और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला काउन्सिल में प्रतिनिधित्व मिल गया है।[6]

शांति वाहिनी – चटगांव पहाड़ी क्षेत्र चकमा समुदाय की मातृभूमि है जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है। भारत की स्वतंत्रता के समय चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में 98 प्रतिशत आबादी गैर मुस्लिम थी और ये लोग भारत में विलय चाहते थे पर रेडक्लिफ ने अज्ञानतावश या जान–बूझकर इनको पाकिस्तान में डाल दिया। चकमा और हजोंग जनजाति के अलावा चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में प्रमुख गैर मुस्लिम जनजातियां खुमी, लुशाई, मार्मा इत्यादि है जिनको सामूहिक रूप से जुम्मा कहा जाता है। इन लोगों ने 1970 के दशक में अपनी मातृभूमि बांग्लादेश से लेने के उद्देश्य से शांति वाहिनी नाम से एक सैनिक और गुरिल्ला संगठन बनाया। 1980 में दशक में शांति वाहिनी ने हजारों लोगों को वापस चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में बसाना आरम्भ किया तो उनका बांग्लादेश के साथ सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया, बांग्लादेशी सेना ने इनका भीषण नरसंहार किया और शांति वाहिनी के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाने लगा। 1990 में लम्बे सैनिक शासन के बाद बांग्लादेश में प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व में पुनः लोकतंत्र बहाल हुआ और खालिदा जिया की सरकार ने शांति वाहिनी के साथ समझौता वार्ताएं आरम्भ की। 1996 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चकमा के साथ–साथ सभी जुम्मा जनजातियों को मान्यता दे दी और इन्हें कई विशेषाधिकार प्रदान किए। 2 दिसम्बर, 1997 को बांग्लादेश और शांति वाहिनी के राजनीतिक पक्षकार पार्वत्य चटग्राम जन संघर्ष समिति के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।[7]

(3) अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या –

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं पर पर्याप्त चौकसी का अभाव होने से बांग्लादेश से घुसपैठिए आसाम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार तक ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य प्रमुख शहरों तक पहुंच गए हैं। आज हालात यह है कि भारत में घुसपैठियों की संख्या तीन करोड़ को पार कर चुकी है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण सीमावर्ती जिले मुस्लिम बहुत हो गए हैं और इन प्रान्तों का जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली जनगणना में बांग्लादेश से एक करोड़ लोग गायब हैं। इन घुसपैठियों के चोरी, लूटपाट, डकैती, हथियार और पशु तस्करी, जाली नोट एवं नशीली दवाओं के कारोबार जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण कानून व्यवस्था का गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठ आतंकवादी संगठनों एवं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. की गतिविधियों के लिए एक हथियार के रूप में उभरकर देश की सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा कर रही है।[8]

(4) जल विवाद – भारत और बांग्लादेश के बीच कई नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद रहा है। इन नदियों में गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, बराक, मानू, मुहरी, कोबई, गुमटी, जलढ़ाका और तोरसा नदियां मुख्य हैं।[9]

गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी बांग्लादेश की मुख्य नदी है। भारत ने बांग्लादेश उदय से बहुत पहले से ही 1961 से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर फरक्का बैराज का निर्माण आरम्भ कर दिया था जो कि 1975 में जाकर पूर्ण हुआ। फरक्का बैराज देश का सबसे बड़ा बैराज है जिसकी 40000 क्यूसेक प्रवाह वाली एक फीडर नहर है जिसकी सतही चौड़ाई स्वेज नहर से भी अधिक है। फीडर नहर फरक्का बैराज के दाहिने तट पर अपस्ट्रीम से निकली है और फरक्का बैराज के 40 कि.मी. डाउनस्ट्रीम गंगा के दाहिने चैनल भागीरथी में गिरती है। इस बैराज से नौवहन, बाढ़ बचाव कार्य, टाउनशिप, फेरी सेवाएं आदि संचालित होती है।[10] फरक्का बांध के लिए गंगा नदी के पानी के प्रवाह को मोड़ने से बांग्लादेश ने कोहराम मचा दिया। शेख मुजीब की 1974 की नई दिल्ली यात्रा में इसको लेकर एक समझौता किया गया जिसके द्वारा अस्थाई रूप से गंगा के पानी में बंटवारे का निश्चय हुआ। भारत ने कमी वाले मौसम (लीन सीजन के छह सप्ताह में गंगा के पानी का 80 प्रतिशत तक अंश बांग्लादेश को देना स्वीकार किया परन्तु शेख मुजीब की हत्या और बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्वों के शक्तिशाली होने पर भारत ने भी पानी पर कड़ा रुख अपना लिया और 1975 में इस अस्थाई समझौते को समाप्त कर दिया। शेख मुजीब के बाद बांग्लादेश की भारत विरोधी सरकार ने इस विवाद में अन्तर्राष्ट्रीयकरण का पूरा प्रयास किया जबकि भारत इसे पूरी तरह द्विपक्षीय मानकर इसमें द्विपक्षीय समाधान का ही पक्षधर था।

भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का से सम्बन्धित समस्या के समाधान के लिए 5 नवम्बर, 1977 को ढ़ाका में फरक्का समझौता हुआ, इस समझौते में कुल 15 धाराएं थी और आगे कोई विवाद हुआ तो समाधान द्विपक्षीय आधार पर ही किया जाएगा, ये प्रावधान समझौते में रखा गया फिर भी बांग्लादेश ने इस विवाद के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की कोशिशें जारी रखी। बांग्लादेश ने इस प्रश्न को मई, 1982 में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में उठाया। भारत ने बांग्लादेश के इस प्रयास का विरोध करते हुए कहा कि बांग्लादेश अनावश्यक रूप से इस विवाद का अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है जबकि

मूलतः यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है। 1982 में फरक्का समझौते की अवधि समाप्त हो गई तब प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी और बांग्लादेश के राष्ट्रपति इरशाद के मध्य हुई वार्ता ने इस समझौते को आगे 18 महीनों तक के लिए बढ़ा दिया। इस समझौते का 1983 और 1986 में पुनः नवीनीकरण किया गया। यह समझौता 1986 में समाप्त हो गया और भारत ने स्वेच्छा से पानी उपलब्ध करवाना आरम्भ कर दिया। भारत ने यह सुझाव दिया कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के प्रवाह को मोड़कर फरक्का के उत्तर में गंगा से मिलाया जाए ताकि कमी के मौसम में बांग्लादेश को कुछ और पानी उपलब्ध हो सके। प्रस्ताव यह था कि एक लिंक नहर द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी गंगा नदी से जोड़ दिया जाए। भारत का तर्क यह था कि गंगा में इतना पानी नहीं है कि दोनों देशों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। इसके विपरीत मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियों में आवश्यकता से अधिक पानी होता है जिसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। बांग्लादेश ने भारत के सभी सुझावों को खारिज कर दिया और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने में लग गया।

गंगा नदी के पानी को लेकर 1996 का ऐतिहासिक समझौता –

1990 के दशक में आरम्भ से बांग्लादेश में सैनिक तानाशाही के स्थान पर प्रजातंत्र की वापसी हुई। इसी कारण दोनों देशों के बीच आपसी विवाद सुलझाने की प्रक्रिया को गति मिली और 12 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और शेख हसीना के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर ऐतिहासिक 30 वर्षीय संधि सम्पन्न हुई। इस संधि में प्रस्तावना और 12 अनुच्छेद है।[11]

(5) तीस्ता नदी जल विवाद – गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के बाद तीस्ता भारत व बांग्लादेश से होकर बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी सिक्किम की पहाड़ियों से निकलकर भारत में 300 किमी. का सफर तय करने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश का करीब 14 प्रतिशत इलाका सिंचाई के लिए इसी नदी के पानी पर निर्भर है। इससे वहां की 7.5 प्रतिशत आबादी को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है।

इस नदी के पानी पर विवाद देश के विभाजन के समय से ही चला आ रहा है। तीस्ता पानी के लिए ही ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग ने वर्ष 1947 में सर रेडक्लिफ की अगुवाई में गठित सीमा आयोग से दार्जिलिंग और जलपाईगुडी को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने की मांग उठाई थी लेकिन कांग्रेस और हिन्दू महासभा ने इसका विरोध किया था। तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद सीमा आयोग ने तीस्ता का ज्यादातर हिस्सा भारत को सौंपा था। उसके बाद यह मामला ठण्डे बस्ते में रहा लेकिन वर्ष 1971 में पाकिस्तान से आजाद होकर बांग्लादेश गठन के बाद पानी का मामला दोबारा उभरा। वर्ष 1972 में इसके लिए भारत–बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग का गठन किया गया। शुरूआती दौर में दोनों देशों का ध्यान गंगा, फरक्का बांध, मेघना एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के पानी के बंटवारे पर ही केन्द्रित रहा । 1996 में गंगा के पानी पर हुए समझौते के बाद तीस्ता के पानी के बंटवारे की मांग ने जोर पकड़ा।[12]

1983 में तीस्ता में पानी में बंटवारे पर एक तदर्थ समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत बांग्लादेश को 36 प्रतिशत भारत को 39 प्रतिशत पानी इस्तेमाल करने पर सहमति बनी, शेष 25 प्रतिशत पानी पर सहमति नहीं बन पायी।[13]

1996 में गंगा नदी समझौते के बाद दूसरी नदियों में अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक साझा समिति गठित की

गई। इस समिति ने तीस्ता को अहमियत देते हुए वर्ष 2000 में इस पर समझौते का एक प्रारूप पेश किया। वर्ष 2010 में दोनों देशों ने तीस्ता समझौते के अन्तिम प्रारूप को मंजूरी दे दी। वर्ष 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ढ़ाका गए लेकिन वहाँ उन्होंने इस समझौते पर फिलहाल हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। भारत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समझौते के सख्त खिलाफ हैं और इसमें पश्चिम बंगाल की जनता के हित की सुरक्षा की मांग पर अड़ी हुई है। मार्च, 2014 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिमस्टेक शिखर वार्ता के दौरान तीस्ता जल समझौते का भरोसा दिलाया था लेकिन कुछ अड़चनों के कारण समझौता नहीं हो सका।[14]

(6) मुहुरी नदी विवाद – मुहुरी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अन्तर्राष्ट्रीय नदी है। इसे अन्तर्राष्ट्रीय एशियन नदी भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम फेनी नदी है। इसके पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद कायम है। इस नदी का उद्गम दक्षिण त्रिपुरा जिले से होता है। पश्चिम बंगाल के नोआखली जिले से मुहुरी नदी फेनी नदी में मिल जाती है। त्रिपुरा में जल संसाधन विभाग के अनुसार बांग्लादेश से विवाद के चलते इस नदी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं रूकी हुई हैं और त्रिपुरा में गांवों में सिंचाई बाधित हो रही है।

संक्षेप में भारत और बांग्लादेश आपस में 54 नदियां साझा करते हैं और दोनों देशों ने इस पर 1972 में ही द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग बना लिया था।

(7) न्यू मूर द्वीप विवाद – स्थलीय सीमा और नदी जल बंटवारे के साथ–साथ भारत बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा को लेकर भी लम्बे समय तक विवाद रहा है जिसमें न्यू मूर द्वीप का विवाद सबसे प्रमुख है। समुद्री ज्वार–भाटे के कारण 1970 में यह द्वीप पहली बार समुद्र में दृष्टिगोचर हुआ तब से इसके स्वामित्व को लेकर दोनों देशों के सम्बन्ध तनावपूर्ण रहे और हास्यास्पद है कि दोनों देश लड़ते रहे और समुद्री ज्वारभाटा से यह द्वीप वापस समुद्र में डूब चुका है, अच्छा होता कि दोनों देश मिल–बांटकर इस द्वीप की खनिज सम्पदा का दोहन कर लेते। बहरहाल न्यू मूर को भारत में पुरबाशा और बांग्लादेश में दक्षिणी तलपट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत ने 1979 में नौसेना का जहाज और फिर बीएसएफ के जवानों को वहां तैनात करके तिरंगा झण्डा फहराया था। बांग्लादेश सरकार ने समुद्री सीमा को लेकर 2009 में अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ आर्बिटेशन में केस लगाया था और कोर्ट ने जुलाई, 2014 में दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा पर अपना फैसला दे दिया है।[15] इस कोर्ट ने लगभग 19467 वर्ग कि.मी. क्षेत्र बांग्लादेश को देने का निर्णय दिया है और न्यू मूर द्वीप भारत को । इस प्रकार इस आर्बिटेशन कोर्ट ने भारत और बांग्लादेश के बीच तीन दशकों से चले आ रहे समुद्री सीमा विवाद का अन्त कर दिया है। कोर्ट ने विवादित 25000 वर्ग किमी. में से लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा बांग्लादेश को देने का फैसला सुनाया। इस प्रकार कोर्ट ने भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा रेखा खींच दी है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि "हमें विश्वास है कि समुद्री सीमा रेखा विवाद समाप्त होने से भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी समझ और सद्भावना बढ़ेगी। इससे बंगाल की खाड़ी का आर्थिक विकास होगा जिससे दोनों देशों को फायदा पहुँचेगा।[16]

(8) बांग्लादेश में आतंकवाद के संरक्षण से उत्पन्न विवाद –

पिछले तीन दशकों से बांग्लादेश पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों के लिए शरणगाह बन गया है। उल्फा और बोडो आतंकवादियों को बांग्लादेश के चटगाँव पहाड़ी क्षेत्र में शरण मिलती है जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेन्सी आई.एस.आई. उन्हें हथियार, प्रशिक्षण और धन उपलब्ध करवाती है। आई.एस.आई. ने बांग्लादेश में अपना मजबूत आधार कायम कर लिया है। बांग्लादेश की जमाते इस्लामी तथा अन्य कट्टरपंथी संगठन आई.एस.आई. का पूरा सहयोग कर रहे हैं। आई.एस.आई. ने पूर्वोत्तर के आतंकवादी गुटों को मिलाकर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स (अल्फास) का गठन किया है, इसे बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टियों जैसे हरकत–उल–जेहाद–अल–इस्लाम (हुजी) का समर्थन हासिल है। हरकत–उल–मुजाहिदीन, नेशनल डेमोक्रोटिक फ्रण्ट ऑफ बोडो लैण्ड (छक्थ्ठ), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ आसाम (उल्फा) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, पीपुल्स यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ आसाम (मुल्ल), मुस्लिम वालंटियर फोर्स, नेशनल लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ त्रिपुरा, इस्लामिक लिबरेशन आर्मी ऑफ आसाम व अल जेहादी इस्लामी जैसे कई संगठन अल्फॉस के साथ हो गए हैं। इन सभी का उद्देश्य पूर्वोत्तर को शेष भारत से अलग करना है। आई.एस.आई. के साथ बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी डायरेक्टर जनरल ऑफ फील्ड इंटलीजेन्स (क्ण्ळण्थ्ण्ण्) भी इनको प्रशिक्षण दे रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ब्ण्ण्।ण् ने इसकी पुष्टि करते हुए आगाह किया है कि बांग्लादेश की दक्षिणी तटीय सीमा भारत से लगी उत्तरी सीमा पूरी तरह कानूनविहीन (लॉ लेस) और हथियारों का धंधा करने वाले गिरोहों या अड्डा बन चुकी है। बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र के द्वीप कुतुबदिया और सोलादिया एक तरह से आतंकवादियों के कब्जे में ही है।

(9) बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव और भारत की चिन्ता –

हाल ही के वर्षों में चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत और भारत को घेरने के उद्देश्य से भारत के सभी पड़ोसी देशों के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। इस क्रम में 30 साल बाद किसी चीनी राष्ट्रपति के दौरे के रूप में शी जिंगपिंग अक्टूबर, 2016 में बांग्लादेश गए। जहां उन्होंने बांग्लादेश में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए 20 अरब डॉलर निवेश के अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बांग्लादेश में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है जो उसे ऊर्जा संयंत्र, बंदरगाह और रेलवे निर्माण में मदद करेगा। इसी यात्रा में बांग्लादेश ने चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड़ परियोजना में शामिल होने की स्वीकृति भी दे दी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वो बांग्लादेश, चीन, भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण का समर्थन देगी ताकि बिजली, ऊर्जा, तकनीकी, कृषि परिवहन जल संसाधन आदि क्षेत्रों में विकास के रास्ते खुल सकें। [17]

चीन द्वारा यह सब ऐसे समय किया जा रहा है, जब भारत भी बांग्लादेश को प्रभाव क्षेत्र मानते हुए वहां अपना निवेश बढ़ा रहा है। भारत की मदद से जापान भी बांग्लादेश से जुड़ गया है और उसने बंदरगाह निर्माण और ऊर्जा कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए कम ब्याज पर बांग्लादेश को रकम दी है। इस बीच चीन भी अपने निजी स्वार्थों को लेकर बांग्लादेश में बड़े निवेश के साथ कूद गया है। इस तरह 16 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश पर वर्चस्व की होड़ शुरू हो गई है। चीन चाहता है कि वह पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्धों को मजबूत न होने दे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश से सम्बन्ध मजबूत करने में जुटे हैं। 2015 में ही मोदी ने बांग्लादेश के लिए दो अरब अमेरिकी

डॉलर के कर्ज की घोषणा की थी। चीन की कोशिशें एशिया में शक्ति संतुलन को चीन के पक्ष में झुकाने की है। भारत ने चीन के आर्थिक गलियारे के प्रस्ताव को लेकर भी उत्सुकता नहीं दिखाई है। भारत मानता है कि यह सब भारत को कमजोर करने के लिए है।

भारत और बांग्लादेश कई क्षेत्रीय सहयोग संगठनों में भी एक साथ है। इनमें इण्डियन ओशन रिम एसोसिएशन (प्व्त।), सार्क, बिमस्टेक, राष्ट्रमण्डल जैसे संगठन हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों को अच्छे पड़ोसी की नीति के आधार पर अपनी भू–राजनीतिक हकीकत को देखते हुए सम्बन्धों को आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों देशों को सभी नदियों पर जल्दी समझौता करना चाहिए और बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल एनीसीएटिव (ठठप्छ) पर अमल करना चाहिए।

सन्दर्भ

1. विदेश मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट
2. प्रभात खबर, 5 दिसम्बर, 2014
3. पदकपंण्हवअण्पद
4. नवभारत टाइम्स, 18 दिसम्बर, 2017
5. डंरनउकंत बेंदकतपां ठेंन रू ळमदमेपे व िबींउं डवअमउमदज पद बैपजजंहवदह भ्पसस ज्तंबजेए च्तवहतमेपअम च्नइए 2003ए च्114
6. द हिन्दू, 14 सितम्बर, 2017
7. चटगांव पहाड़ी क्षेत्र मंत्रालय की वेबसाइट
8. वेबदुनिया, 22 दिसम्बर, 2008
9. जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट
10. वही उपरोक्त
11. वही उपरोक्त
12. कूण्बवउए 6 अप्रेल, 2017
13. वही उपरोक्त
14. वही उपरोक्त
15. इण्डिया वाटर पोर्टल, 13 अप्रेल, 2010
16. ठठब् छम्ॅ भ्प्छक्प्ए 9 जुलाई, 2014
17. अमर उजाला, 15 अक्टूबर, 2016